IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्री ललन कुमार मंडल

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर (बिहार)

सारांश :

चुनाव लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आत्मा होती है। मतदाता राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों सहित अन्य कारकों से संचालित होकर समय-समय पर सरकार का निर्वाचन करते हैं। मतदान व्यवहार चुनावी व्यवहार का एक रूप है। मतदाताओं के व्यवहार को समझने से यह स्पष्ट हो सकता है कि सार्वजनिक निर्णयकर्ताओं द्वारा निर्णय कैसे और क्यों लिए गए। सामान्यतः भारत में, मतदान करते समय मतदाता व्यक्ति की कार्यकुशलता, नैतिकता, पार्टी सिद्धांत, चरित्र अदि को महत्त्व देने की बजाय जाति, धर्म, क्षेत्र और धन को महत्त्व देते हैं।

मूल शब्द: चुनाव, मतदान व्यवहार, लोकतंत्र, मतदाता

परिचय :-

मतदान व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसी देश की राजनीतिक दशा व दिशा तय करता है। मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के नागरिकों को मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगा। पहले भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होता है।

मतदान व्यवहार क्या है?

मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मनःस्थिति से होता है, जिससे प्रभावित होकर कोई मतदाता मतदान करता है। यानी मतदान व्यवहार इस बात को इंगित करता है कि लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार सार्वजनिक चुनावों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान व्यवहार एक राजनीतिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ओइनम कुलाबिधु के अनुसार – "मतदान व्यवहार मतदाताओं का ऐसा व्यवहार होता है, जो उनकी पसंद, वरीयताओं, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों इत्यादि को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये कारक समाज व राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों से संबंधित होते हैं।" दूसरे शब्दों में, मतदान व्यवहार एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है, जिसके तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार मतदान करते हैं। यानी मतदान के समय व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने वाला मनोभाव, मतदान व्यवहार कहलाता है।

मतदान व्यवहार की अवधारणा

भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख पहलू के रूप में जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। जनता ने अपने मताधिकार में किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया है यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू है जो कि भारतीय लोकतंत्र को आम चुनाव के माध्यम से एवं राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता एवं निष्ठा बोध के द्वारा यह प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि भारतीय जनता की लोकतंत्र के प्रति आस्था, रुचि क्या है। वह कहां तक जागरूक है। इन सभी बातों को मतदान व्यवहार से जाना जाता है। मतदान व्यवहार का अर्थ है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में किन-किन बातों से प्रभावित होता है मताधिकार करने में कौन से कारक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और कौन से कारक हतोत्साहित करते हैं और कौन से कारक व्यक्ति को एक विशेष उम्मीदवार या दल विशेष के पक्ष में मत देने के लिए प्रेरित करते हैं।

मतदान व्यवहार का अध्ययन बीसवीं सदी की ही प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में सन 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके बाद अमेरिका में दो विश्व युद्धों के बीच के काल में और ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययनों को अपनाया गया है और अभी हाल के वर्षों में इस विषय पर प्रचुर साहित्य प्रकाशित हुए हैं जो अनुभाविक एवं वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणों पर आधारित है।

भारत में मतदान व्यवहार के परिमापन का इतिहास

भारत में चुनावी सर्वेक्षण की शुरुआत कोई हाल-फिलहाल की घटना नहीं है। भारतीय मतदाताओं के मत और रुझानों को मापने के लिए संस्थात्मक स्तर पर किये जाने वाले जनमत सर्वेक्षण की पहली शुरुआत 1950 के दशक में ही शुरू हो चुकी थी। डॉ. एरिक डा कोस्टा ने **अमेरिकी संस्था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन** की तर्ज पर 1950 के दशक के प्रारम्भ में ही **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक**

ओपिनियन (आई.आई.पी.ओ) की स्थापना की थी। उन्हें भारत में चुनाव का अध्ययन करने वालों में अगुआ होने का श्रेय दिया जाता है तथा भारत में जनमत सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है। वे पेशे से एक अर्थशास्त्री थे जिनकी प्राथमिक रुचि उपभोक्ता से संबंधित अध्ययनों में थी। लेकिन उन्होंने भारत में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनमत सर्वेक्षण भी प्रारम्भ किया। आई.आई.पी.ओ. ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल में कुछ राजनीतिक अध्ययन किये थे। इन अध्ययनों के नतीजे उस संस्था के प्रथम जर्नल मंथली पब्लिक ओपिनियन स्टडीत (एम. पी.ओ.एस.) में 1995 में प्रकाशित हुए थे। इस प्रकार भारत में चुनावी सर्वेक्षण कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आई.आई.पी. ओ. भारत का पहला संगठन था जिसने चुनावी सर्वेक्षण किया था। 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर पहला जनमत सर्वेक्षण कराया गया। इस जनमत सर्वेक्षण के आधार पर पहली चुनावी भविष्यवाणी की गयी जो एकदम सटीक साबित हुई। इस सर्वे ने भारतीयों के मतदान व्यवहार पर केंद्रित किया था और यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि मतदाताओं द्वारा मतदान करने के निश्चय में किस प्रकार उनकी आय, धर्म और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर अंतर होता है। इस सर्वे ने राजनीतिक नेताओं की लोकप्रियता भी जानने की कोशिश की थी और इसके आधार पर दल के नेताओं की लोकप्रियता की एक सूची भी प्रकाशित की गयी थी। इस प्रकार आई.आई.पी.ओ. द्वारा कराये गये चुनावी सर्वेक्षण का मुख्य फ़ोकस इस बात पर था कि मतदाता मतदान करने का निश्चय किस प्रकार करते हैं और उनके वोट देने के निर्णय को जाति, समुदाय, देश के प्रमुख राजनीतिक मुद्दे, नेताओं की लोकप्रियता आदि किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

एरिक डा कोस्टा ने आई. आई.पी.ओ. द्वारा कराये गये सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए 1980 में कहा था कि 'उस समय वास्तव में यह भी पता नहीं था कि अखिल भारतीय स्तर पर जनमत सर्वेक्षण करना सच में सम्भव है भी या नहीं। निरक्षरता की समस्या और भारत के कई क्षेत्रों में रैण्डम सैम्पल के संचालन में आ रही समस्याओं के कारण यह बहुत मुश्किल लग रहा था। सच्चाई यह है कि यह प्रयोग असाधारण रूप से सफल सिद्ध होगा यह तब तक प्रमाणित नहीं हुआ जब तक कि 1957 में पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं हो गया।' आई.आई.पी. ओ. ने अखिल भारतीय स्तर पर पहला जनमत सर्वेक्षण ही संचालित नहीं किया बल्कि उसने चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी भी प्रारम्भ की। डॉ. कोस्टा ने कहा था कि 'जनमत की महान शक्ति पर शोध करके विदेशों में मतदान के निश्चयों और परिणामों की भविष्यवाणी की जाती थी या फिर अनेकों संवदेनशील विषयों पर विचारों को जाना जाता था। 1957 में पहली बार भारत में उसका प्रयोग किया गया। यह कमोबेश एक नये भारतीय आविष्कार के रूप में प्रकट हुआ था।

भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति

मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव अध्ययनों का एक हिस्सा है। चुनावों के अध्ययन के विषय को सेफोलोजी कहते हैं। इसका उद्देश्य चुनावों के दौरान मतदाताओं के व्यवहार के बारे में प्रश्नों का विश्लेषण करना होता हैं। मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं? या वे चुनाव में एक ही पार्टी को क्यों पसंद करते हैं? क्या ये आर्थिक कारक ? क्या यह मजबूत नेतृत्व या करिशमाई नेतृत्व हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर मतदान

के निर्धारकों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। भारत में राजनीतिक विद्वान, समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, मीडिया हाउस और राजनीतिक दल चुनावी अध्ययनों में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1951-52 के प्रथम आम चुनावों के समय से 1950 के दशक से चुनाव अध्ययन शुरू हुए थे। लेकिन व्यवस्थित तरीके से चुनावी अध्ययन 1960 के दशक से शुरू हुए थे। रजनी कोठारी और मायरन वीनर जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसका आरंभा किया था। 1980 के दशक में प्रणय रॉय और अशोक लाहिरी की पुस्तक ने इस अध्ययन को नयी गति दी।

लेकिन 1990 के दशक से ही चुनावी अध्ययनों का निर्यात तरीके से अध्ययन हो रहा है। इसका प्रमुख कारण लोक सभा था राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में हो रही निरंतर वृद्धि है। 1990 के दशक में भारत में चुनावी अध्ययन की पहल को शुरू करने का श्रेय जाने माने शिक्षाविद योगेन्द्र यादव को जाता है जो कि सी.एस.डी.एस से संबंधित रहे। यह ठीक लोकनीति के नाम से जाने वाले एक संगठन के बैनर तले चुनाव के अध्ययन का आयोजन करती है। सी. एस. डी. एस. टीम के सदस्यों के रूप में देश में विभिन्न विश्वविद्यालायों के विद्वानों ने चुनाव अध्ययन की व्यवस्था थी। चुनाव अध्ययन करने के तरीकों में मुख्य रूप से सर्वेक्षण शामिल हैं। इन सर्वेक्षणों को राष्ट्रीय चुनाव सर्वेक्षण कहा जाता है। चुनाव से पहले या बाद में, शोधकर्ता चुनाव प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिये सर्वेक्षण के अध्ययन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन अध्ययनों के नतीजों को कई पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं में प्रकासित भी किया जाता है। सी.एस. डी. एस. के अलावा, कई शोधकर्ता और मीडिया समूह, राजनीतिक दल मतदान व्यवहार के निर्धारकों के अध्ययन में संलग्न है।

मतदान व्यवहार की विशेषताएं

1. मतदान व्यवहार के माध्यम से 'राजनीतिक समाजीकरण' (**Political Socialization**) की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है।
2. मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात की जांच की जा सकती है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति धारणा कैसी है। इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की लोकतंत्र के प्रति सोच को समझने में सहायता मिलती है। यानी यदि कोई व्यक्ति अधिकार या दायित्व बोध महसूस करते हुए मतदान करता है, तो उसे लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति समझा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नोटा के रूप में मतदान करता है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग तो करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में वह किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके द्वारा उठाए जाने वाले चुनावी मुद्दों को पसंद नहीं करता है।
3. मतदान व्यवहार इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि चुनावी राजनीति किस सीमा तक पूर्ववर्ती राजनीतिक मुद्दों से संबंध रखती है। यदि गहराई से अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक चुनाव में कुछ चुनावी

मुद्दे हर बार लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई इत्यादि मुद्दों के इर्द-गिर्द प्रत्येक चुनाव घूमता है। इसका अर्थ है कि मतदाता इन मुद्दों से काफी हद तक प्रभावित होकर मतदान करता है, इसीलिए प्रत्येक चुनाव में ये मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा होते हैं।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं, जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारकों का विवरण निम्नानुसार है-

1. **जाति** : भारत की सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है, इसीलिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इसका अच्छा खासा प्रभाव होता है। राजनेता के राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में, रजनी कोठारी ने यह कहा भी कि भारत की राजनीति जातिवादी है और भारत में जातियां राजनीतिकृत हैं।
2. **धर्म** : विभिन्न राजनीतिक दल और राजनेता चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और इनके वशीभूत होकर लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं।
3. **भाषा** : उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में 'भाषा' मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। विशेष रूप से, तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी व गैर हिंदी भाषा का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता है। भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
4. **क्षेत्रवाद** : उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी होता है। विभिन्न चुनावों के दौरान अनेक राजनेताओं के संबंध में दूसरे राज्यों के लोग बाहरी होने का आरोप लगाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि उस राज्य के लोग किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को वोट न दें। यह कारक भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।
5. **मतदाता की आर्थिक स्थिति** : ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रूचि लेते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरीत, निर्धन मतदाता, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले लोग अपनी दैनिक मजदूरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे, तो इससे उनकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।
6. **राजनीतिक स्थिरता की इच्छा** : यदि मतदाताओं को इस बात का आभास हो जाए कि अमुक राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम कर सकता है और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में, मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने में सक्षम राजनीतिक दल को ही अपना मत देते हैं। यानी यह कारक भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।

7. **धन की भूमिका** : चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। विशेष रूप से, गरीब देशों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को धन का लालच दिया जाता है, जिससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते हैं और इससे चुनावी परिणामों में भी परिवर्तन हो जाता है।
8. **शिक्षा** : शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किए बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते हैं। इसके विपरीत, शिक्षित लोग अपने हितों के मद्देनजर मतदान करते हैं। इसके अलावा, आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन करना पसंद करते हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हैं।
9. **व्यक्तित्वः** दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावी व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, जवाहरलाल नेहरू (14 नवंबर, 1889 को जन्म), इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की विशाल छवि ने मतदाताओं को अपनी पार्टियों के पक्ष में मतदान करने के लिए काफी प्रभावित किया था।

राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय पार्टी के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावों में लोकप्रिय समर्थन का महत्वपूर्ण कारक रहा है।

10. दल का प्रदर्शन: चुनावों की पूर्व संध्या पर, प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करता है जिसमें उसके द्वारा मतदाताओं से किए गए वादे होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदर्शन को मतदाता उसके चुनाव घोषणापत्र के आधार पर आंकते हैं।

1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार और 1980 के चुनावों में जनता पार्टी की हार दर्शाती है कि सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार सत्ता-विरोधी कारक (जिसका अर्थ है सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शन से असंतोष) चुनावी व्यवहार का निर्धारक है।

11. पार्टी की पहचान: राजनीतिक दलों के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में एक भूमिका निभाते हैं। जो लोग किसी विशेष पार्टी के साथ अपनी पहचान रखते हैं, वे हमेशा उस पार्टी को वोट देंगे चाहे उसकी चूक और कमीशन कुछ भी हो। 1950 और 1960 के दशक में पार्टी की पहचान विशेष रूप से मजबूत थी। हालाँकि, 1970 के दशक से, मजबूत पार्टी पहचानकर्ताओं की संख्या में गिरावट आई है।

12.**विचारधारा**: किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विचारधारा का मतदाताओं के निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ता है। समाज में कुछ लोग सांप्रदायिकता, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता , विकेंद्रीकरण आदि जैसी कुछ विचारधाराओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे लोग उन विचारधाराओं को मानने वाले दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं।

अन्य कारक: ऊपर बताए गए कारकों के अलावा, कई अन्य कारक भी हैं, जो भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इनका उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) चुनाव से पहले की राजनीतिक घटनाएँ जैसे युद्ध, किसी नेता की हत्या, भ्रष्टाचार कांड आदि। (**ii**) चुनाव के समय आर्थिक स्थितियाँ जैसे महंगाई, भोजन, अल्प आयु, बेरोजगारी आदि। (**iii**) गुटबाजी – किसकी एक विशेषता है भारतीय राजनीति नीचे से शीर्ष स्तर तक (**iv**) आयु – वृद्ध या युवा (**v**) लिंग – पुरुष या महिला (**vi**) शिक्षा – शिक्षित या अशिक्षित (**vii**) आवास – ग्रामीण या शहरी (**viii**) वर्ग (आय) – अमीर या गरीब (**ix**) परिवार और रिश्तेदारी (**x**) उम्मीदवार अभिविन्यास (**xi**) चुनाव अभियान (**xii**) राजनीतिक पारिवारिक

निष्कर्ष:

चुनाव लोकतांत्रिक देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भारत के बारे में भी सत्य है। 1951- 52 से भारत में राष्ट्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव हुए हैं। लोग विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और लिंग से संबंध रखते हैं। वे इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। चुनावों में भी ये कारक मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक होते हैं लेकिन ये कारक तब बहुत अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं जब ये लोगों की आर्थिक जरूरतों से जुड़ जाते हैं। भारत में कई प्रकार के चुनावी अध्ययन हुए हैं जिनमें मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण दर्शाया गया है।

संदर्भ सूची:

1. डॉ. श्रीमती कल्पना वैश्य, "भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार", नवभारत प्रकाशन

2. डॉ. बी. एल. फाड़िया और डॉ. पुखराज जैन, "भारतीय शासन एवं राजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन।

3. डॉ. प्रेमसिंह रावलोत और सुश्री कुसुम लता पुरोहित, "राजनीति में मतदान व्यवहार का स्वरूप", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ हिंदी रिसर्च, वैल्यू-7, इश्यू **-4**, 2021 पेज-35-37

4. संजय कुमार (2013), "भारत में मतदान व्यवहार: अध्ययन का इतिहास और उभरती चुनौतियां", प्रतिमान, **1, PP-321-345**

5. रजनी कोठारी, "भारत में राजनीति कल और आज", वाणी प्रकाशन

6. रजनी कोठारी, "कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया", ओरियंट लोंगमैन, दिल्ली,1970 पृष्ठ-70

7. बिपिन चंद्र, "आजादी के बाद का भारत", हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, 2011, पृष्ठ-65

8. भालचंद्र गोस्वामी, "भारत में चुनाव सुधार: दशा और दिशा", प्वाइंटर पब्लिशर्स हाउस, नई दिल्ली, 1997 पृष्ठ- 8

9. मिथलेश कुमारी, "भारत में चुनाव और मतदान व्यवहार", श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, वैल्यू-5, इश्यू -4, दिसम्बर-2017,

10. https://egyankosh.ac.in